**आदेश 9, नियम 9 सि. प्र. सं. के अधीन आवेदन पत्र**

**वाद के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पत्र जहाँ वाद मात्र वादी के व्यतिक्रम में खारिज कर दिया गयाः**

............... न्यायालय

आवेदन पत्र सं......... सन् २०२१

(आदेश 9 नियम 9 सि. प्र. सं. के अधीन)

इन

वाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

तारीख..............को व्यतिक्रम में खारिज किये गये वाद के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पत्र

श्रीमान जी

वादी निम्नलिखित रूप में अतिसादर पूर्वक निवेदन करता है

1. यह कि वाद साक्ष्य / तों................... के लिए तारीख................... के लिए नियत किया गया। इसमें 11 बजे पूर्वाह पुकार करवायी गयी और वादी अपने अधिवक्ता श्री....... को बुलाने गया जो उस समय अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं था और वादी ने इस तथ्य की सूचना न्यायालय को दी और अपने अधिवक्ता को बुलाने पुनः गया, जिसको उसने एक दूसरे मामले पर बहस करते न्यायालय सं0...................में पाया और उसने भोजन के समय तक न्यायालय से पूछने के लिए वादी से कहा / तदनुसार, वादी ने भोजन के घण्टों तक प्रतीक्षा करने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया। लेकिन, इस प्रकार की विद्वान् न्यायालय ने वादी के व्यतिक्रम में वाद को खारिज कर दिया
2. यह कि परिस्थितियों में, यह समीचीन है कि वाद उपर्युक्त एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर इसकी प्रारम्भिक सं0 को प्रत्यावर्तित कर दिया जाय।

**प्रार्थना**

अतएव, यह अतिसादर पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह आदरणीय न्यायालय, एकपक्षीय खारिजी आदेश को अपास्त करने तथा इसकी आरम्भिक संख्या में वाद को प्रत्यावर्तित करने तथा साक्ष्य लेने तथा पक्षकारों को सुनने के पश्चात् गुणागुण पर इसको निपटाने की कृपा करें।

**आवेदक**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान........ तारीख............**

शपथपत्र का आवेदन पत्र के समर्थन में दाखिल किया जाना;